मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 21, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6 एवं 7) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 117 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 30 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

(1) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की वि.स. क्षेत्र राजनगर में स्थित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएं संचालित कराये जाने,

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की सरदारपुर स्थित शा. कन्या विद्यालय में छात्राओं को प्रवेश न दिये जाने,

(3) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की शासन द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदाय की जा रही ट्राई सायकिल को बैटरी चलित किये जाने,

(4) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले के सेमरी जलाशय एवं अन्य बांधों में अधिग्रहण हुई भूमि का किसानों को मुआवजा न मिलने,

(5) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले के सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की राखड़ से कृषि फसलों को नुकसान होने,

(6) श्री मनोज चावला, सदस्य की प्लास्टिक के बढ़ते प्रभाव के कारण मानव एवं पशुओं पर निरंतर दुष्प्रभाव पड़ने,

(7) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की नवलक्खा बीज कम्पनी महिदपुर जिला उज्जैन के संबंध में विभाग द्वारा अपील न की जाने,

(8) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय, सदस्य की वि.खण्ड बहोरीबंद जिला कटनी अंतर्गत ग्राम मुहनिया से महगवां होकर रामपाटन मार्ग को पक्का मार्ग बनाये जाने,

(9) श्री शरद जुगलाल कौल, सदस्य की ब्यौहारी वि.स. क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों की अतिरिक्त वृद्धि किये जाने,

(10) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की सतना जिले में नवनिर्मित ट्रामा सेन्टर यूनिट में आवश्यक उपकरण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,

(11) श्री तरबर सिंह, सदस्य की बण्डा स्थित अस्पताल के स्टॉफ की कमी होने,

(12) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य की सिवनी शहर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने,

(13) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह, सदस्य की दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र स्थित माईसेम सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने एवं अन्य अनियमितता होने,

(14) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की वि.स. क्षेत्र पनागर सहकारी समिति निरंदरपुर में किसानों के नाम पर फर्जी लोन का आहरण किये जाने,

(15) डॉ. पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की मनगवां वि.स. क्षेत्रांतर्गत खराब मार्ग को बनवाये जाने
(16) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य की जिला छतरपुर अंतर्गत बिजावर नगर में दुग्ध प्रशीतक केंद्र प्रारंभ किये जाने,
(17) श्री राम किशोर कावंरे (नानो) , सदस्य की बालाघाट जिले में परसवाड़ा वि.स. क्षेत्र ग्राम पंचायत हट्टा में कॉलेज खोले जाने
(18) श्री संजय शर्मा, सदस्य की तेंदूखेड़ा एस.डी.एम. कार्यालय से मुख्य सड़क तक जाने हेतु सड़क का निर्माण न किये जाने,
(19) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की केवलारी क्षेत्र के कान्हीवाड़ा स्थित तालाब गहरीकरण में अनियमितता होने,
(20) श्री सुरेश धाकड़, सदस्य की शिवपुरी जिले के लोहादेवी छर्च सड़क निर्माण का कार्य बंद होने,
(21) डॉ. योगेश पंडाग्रे, सदस्य की प्रदेश में पहाड़ियों से उत्खनन प्रतिबंधित कर तालाबों से उत्खनन करने के निर्देश जारी किये जाने,
(22) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य की प्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से कृषकों को परेशानी होने,
(23) श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्य की प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीनों में नेटवर्क की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को समय पर राशन न मिलने,
(24) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की शासन की लोकसेवा प्रबंधन योजना अंतर्गत सागर जिले के विभागों के लंबित आवेदनों का निराकरण न किये जाने,
(25) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना वि.स. अजयगढ़ क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा बालू उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से किये जाने,
(26) श्री संजीव सिंह, सदस्य की नरेला वि.स. क्षेत्र द्वारका नगर स्थित शा. माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर सीमांकन व बाउन्ड्रीवाल न होने से असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध निर्माण किये जाने,
(27) श्री मुन्नालाल गोयल, सदस्य की ग्वालियर के मुरार में रिंग रोड का निर्माण किये जाने,
(28) श्री सुनील सराफ, सदस्य की कोतमा वि.स. क्षेत्र में बेलिया बांध का निर्माण का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन न कराने पर ध्वस्त होने,
(29) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा सागर जिले के निवेशकों का भुगतान कराये जाने तथा
(30) संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले के विजयराघवगढ़ वि.स. क्षेत्र के कई विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति न होने से वर्तमान शिक्षण सत्र ठप होने,

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) दमोह जिले में हुई घटित घटना की सी.बी.आई. जाँच कराई जाना

श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि दमोह जिले में एक चौरसिया परिवार के साथ एक बहुत गंभीर घटना हुई थी और उसमें हमारे निर्दोष परिवार को फंसाया गया. मेरे परिवार के 28 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया. मेरा आसंदी से अनुरोध है कि सीबीआई जॉंच कराने के निर्देश दीजिए. सीबीआई जॉंच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, श्री संजीव सिंह "संजू", सदस्यगण ने भी उल्लेख किया कि सदन के माननीय सदस्य के परिवार का विषय है. इसमें आपकी व्यवस्था आनी चाहिए. वे सम्मानित सदस्य हैं. उनके परिवार के 28 लोग जेल में हैं. कोई तो व्यवस्था आपकी ओर से आना चाहिए. आपने अनुमति दी है, तब ही माननीय सदस्या ने अपनी बात रखी है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि प्रकरण सब ज्यूडिस है, "जब मैटर सब-ज्यूडिस होता है तो सदन में चर्चा नहीं होती है.

(2) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्थान सुनिश्चित किया जाना

डॉ.नरोत्तम मिश्र, सदस्य, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि मीडिया से जुड़े जो हमारे पत्रकार बंधु हैं कल एक घटना भी घटी है. पूरे परिसर में जो मीडियाकर्मी हैं, आप कुछ ऐसी व्यवस्था दे दें जिसमें उनका मान-सम्मान भी बना रहे और हम लोगों को भी असुविधा न हो. अपने पास मार्शल हैं, अपनी व्यवस्था है, उसके बाद बाहर की पुलिस आकर अगर ट्रीट करती है और दूसरा हम लोगों की बात समाज के अंदर जाने का माध्यम तथा वह भी प्रजातंत्र का एक स्तम्भ है और इस पर आप स्वयं संज्ञान लेकर मार्ग निकालें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया कि - प्रिंट मीडिया जब पुराने विधान सभा भवन में बैठती थी तो वहां एक कमरा था, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री वहीं कमरे में जाकर अपने स्टेटमेंट देते थे. यह आपने भी मिंटो हॉल में देखा है. अब मैंने विधिवत् प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कमरा देकर व्यवस्थित कर दिया है. पहले प्रेस की एक सूची बनती थी, समिति बनती थी. जब मिंटो हॉल था तब प्रिंट मीडिया था उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था. मैं, यह सब बातें संज्ञान में लेकर आप लोगों से भी कमरे में चर्चा करता, आज आपने यहां बात छेड़ दी है अन्यथा बात यह है कि हमको दोनों मीडिया के अलग-अलग व्यवस्थापन करने पड़ेंगे. अलग-अलग समिति बनाना पड़ेंगी ऐसा मैं सोचकर चलता हूं. जब वह समितियां बनेंगी, नई-नई चीज है, मैं नहीं चाहता कि आप हॉल में से निकलें, जो संस्था विधायकों के लिये है वह धक्के खाएं, मंत्री धक्के खाएं, अच्छा प्रतीत नहीं होता है. व्यवस्थाएं सबको बनाना चाहिये. व्यवस्थाएं पहले स्तम्भ, दूसरे स्तम्भ, तीसरे स्तम्भ एवं चौथे स्तम्भ की भी हैं. सब एक दूसरे के पूरक हैं. धीरे-धीरे सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी. नई व्यवस्था में कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, आपके जो सुझाव आयेंगे उनको मैं ग्राह्य करूंगा और तद्नुसार कार्यवाही करूंगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने पुन: उल्लेख किया कि – हम आसंदी की बात से सहमत हैं. सिर्फ सुझाव इतना सा है कि जैसे आपने दो को अलग-अलग कर दिया, सवाल एक ही होंगे दोनों के, जवाब दो जगह होंगे, प्रिंट में अलग जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक में अलग जाना पड़ेगा. एक दूसरा स्थान जो नीचे हो गया वह अगर ऊपर हो जाये, जहां पर उनकी नज़र पड़े, तो वह अपनी सुविधा से जिसकी बाईट लेना चाहते हों, ले सकेंगे. एक उनका प्रतिनिधि मंडल बुलाकर मार्ग एवं विधान सभा की सलाहकार समिति के माध्यम से इसका हल निकाल लें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को आश्वस्त किया कि जब विधान सभा की सलाहकार समिति बनेगी, उनसे सलाह लेकर कार्य करूंगा. समिति का गठन इतनी जल्दी नहीं हो पायेगा, क्योंकि व्यवस्थाओं में समय लगेगा.

3. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाना

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि – आपकी सरकार ने धारा 52 के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति को हटा दिया है, लेकिन 16 हजार छात्रों के परिणाम अटक गए हैं. 2 हजार डिग्रीधारी कुलपति के दस्तखत के लिए भटक रहे हैं. उस पर भी कृपा करके निर्णय करवाएँ.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

(ii) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 61 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 एवं

(ख) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखे.

5. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. अशोक मर्सकोले, सदस्य तथा श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने जबलपुर के बरेला से मण्डला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री एवं तरूण भनोत, वित्त मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने प्रदेश के स्कूलों में अनफिट बसों का संचालन होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामकिशोर ‘नानो’ कावरे (जिला-बालाघाट)
(2) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(3) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(5) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(6) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(7) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(8) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(10) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(11) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(12) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(13) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(14) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(15) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(16) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(17) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(18) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(19) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(20) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(21) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(22) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(23) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(24) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(25) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(26) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

7. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

8. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2019 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर 11 जुलाई, 2019 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(27) श्री विश्वास सारंग

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(28) श्री फुन्देलाल मार्को
(29) कुंवर विजय शाह
(30) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. अशासकीय संकल्प.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु राशि 1.50 लाख रूपये दी जाती है, उसे शहरी क्षेत्रों के समान राशि रूपये 2.50 लाख किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(2) श्री संजय यादव, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "सदन का मत है कि दशहरा, दीपावली एवं होली जैसे त्यौहारों के दौरान विद्यालयों में छुट्टियों की संख्या में वृद्धि कर, छुट्टियों के तुरंत बाद कोई परीक्षा आयोजित न की जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(3) श्री विनय सक्सेना, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इटारसी से चलकर इलाहाबाद जाने के लिए नई ट्रेन चले जो प्रतिदिन चले ऐसी नई ट्रेन चलाई जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 3.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 26, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 12 जुलाई, 2019